भारत सरकार
पंचायती राज मंतालय
लोक सभा
आतारांकित प्रश्न संख्या 4089
दिनांक 25 .03.2025 को उत्तरार्थ

ग्राम सभा

4089: सुश्री कंगना रनौत

क्या **पंचायती राज** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्राम सभाएं सहभागितापूर्ण लोकतंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, फिर भी उनकी बैठकों में प्रायः कम उपस्थिति, सीमित जागरुकता और लोगों की भागीदारी का अभाव देखा जाता है;

(ख) क्या भौगोलिक बाधाओं के कारण हिमाचल प्रदेश और अन्य पहाड़ी राज्यों को नियमित रूप से ग्राम सभाओं की बैठक बुलाने में अतिरिक्त चुनौतियों का सामना करना पड़ता है;

(ग) क्या सरकार ग्राम सभा में भागीदारी को सुदृढ़ करने के लिए डिजिटल भागीदारी तंत्रों, जागरूकता अभियानों और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों को बढ़ाने के संबंध में कार्य कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पंचायती राज मंत्री

(प्रोफ. एस . पी . सिंह बघेल)

(क) "पंचायत, "स्थानीय सरकार" होने के नाते, एक राज्य का विषय है और भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची में राज्य सूची का हिस्सा है। तदनुसार, पंचायतें संविधान के प्रावधानों के अधीन, संबंधित राज्य पंचायती राज अधिनियमों के माध्यम से स्थापित और संचालित होती हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 (क) के प्रावधानों के संदर्भ में, एक ग्राम सभा ऐसी शक्तियों का प्रयोग कर सकती है और ग्राम स्तर पर ऐसे कार्य कर सकती है जैसा राज्य का विधानमंडल, कानून द्वारा प्रदान कर सकता है। इसलिए, ग्राम सभा की शक्तियां और कार्य, ग्राम सभा की बैठकें आयोजित करना और ग्राम सभा की बैठकों के बारे में जागरूकता पैदा करना आदि संबंधित राज्य के अधिकार क्षेत्र में आता है।

पंचायती राज मंत्रालय (MoPR) ग्राम पंचायतों के कुशल और प्रभावी कार्य के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को दिशा-निर्देश जारी करता है, जिसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर सहभागी लोकतंत्र को सशक्त

बनाना है। मंत्रालय ने राज्यों को ग्राम सभा की बैठक से पहले वार्ड सभा और महिला सभा की अलग-अलग बैठकों के आयोजन को सुगम बनाने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

मंत्रालय 2018 से 'सबकी योजना सबका विकास' के रूप में जन योजना अभियान चला रहा है, जिसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर साक्ष्य आधारित, समग्र और समावेशी विकास योजनाओं की संरचित तरीके से तैयारी करना है। इसमें ग्राम/गांव पंचायतों, ब्लॉक/मध्यवर्ती पंचायतों और जिला पंचायतों को शामिल किया गया है।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य सरपंचों, पंचायत सदस्यों और नागरिकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना है, ताकि स्थानीय विकास से संबंधित मुद्दों, आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं की पहचान की जा सके। इन्हीं आधारों पर, थीम आधारित संकल्प लेकर व्यापक ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार की जाती है, जिसका उद्देश्य एक विशेष थीम के तहत सभी क्षेत्रों में सेवाओं और बुनियादी ढांचे की संतृप्ति सुनिश्चित करना है

हिमाचल प्रदेश राज्य ने बताया कि हिमाचल प्रदेश राज्य में सहभागी लोकतंत्र में ग्राम सभाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 के तहत एक वर्ष में 4 ग्राम सभाओं यानी त्रैमासिक आयोजन का आदेश दिया गया है। इन ग्राम सभाओं में चर्चा किये जाने वाले एजेंडों का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाता है। इसलिए इन ग्राम सभाओं में आम जनता की सक्रिय भागीदारी देखी जाती है।

(ख) हां, यह सच है कि हिमाचल प्रदेश और अन्य पहाड़ी राज्यों में भौगोलिक बाधाओं के कारण नियमित रूप से ग्राम सभाओं के आयोजन में अतिरिक्त चुनौती का सामना करना पड़ रहा है।

(ग) व (घ) मंत्रालय वित्तीय वर्ष 2022-23 से केंद्र प्रायोजित योजना, संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आर.जी.एस.ए RGSA), को हिमाचल प्रदेश सहित सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में लागू कर रहा है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य पंचायती राज संस्थानों (PRIs) को सशक्त बनाना है, जिसके तहत निर्वाचित प्रतिनिधियों (ERs), अधिकारियों और अन्य हितधारकों को प्रशिक्षण देकर उनके नेतृत्व और प्रशासनिक क्षमताओं को विकसित किया जाता है, ताकि पंचायतों का प्रभावी संचालन सुनिश्चित हो सके।

योजना के अंतर्गत, मंत्रालय निर्वाचित प्रतिनिधियों, पंचायत कर्मियों और अन्य हितधारकों के लिए बुनियादी अभिमुखीकरण, पुनश्चर्या प्रशिक्षण, थीम आधारित प्रशिक्षण, विशेष प्रशिक्षण, पंचायत विकास योजना प्रशिक्षण आदि जैसे विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण प्रदान करता है। इसके अलावा, मंत्रालय अनुभवात्मक यात्राओं, प्रशिक्षण मॉड्यूल और सामग्री के विकास के लिए भी सहायता प्रदान करता है। नेतृत्व/प्रबंधन विकास कार्यक्रम (MDP) के तहत उत्कृष्ट संस्थानों के माध्यम से निर्वाचित प्रतिनिधियों और अधिकारियों के क्षमता निर्माण के लिए एक नई पहल शुरू की गई है।

प्रशिक्षण कार्यक्रमों में विषयगत विकास योजना की तैयारी, वित्तीय प्रबंधन, ग्रामीण शासन और सेवा वितरण में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) का उपयोग, और विशेष प्रशिक्षण जैसे विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है, जिससे जमीनी स्तर पर प्रशासन में सुधार हुआ है।

डिजिटल शासन को बढ़ावा देने के लिए, निर्वाचित प्रतिनिधि और अधिकारी ग्रामस्वराज एप्लिकेशन का उपयोग कर रहे हैं, जिसे ई-पंचायत मिशन मॉडल प्रोजेक्ट (MMP) के तहत विकसित किया गया है। यह एप्लिकेशन डिजिटल योजना, लेखा, निगरानी और ऑनलाइन भुगतान की सुविधाएं प्रदान करता है। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, मंत्रालय ने पंचायत निर्णय नामक मोबाइल एप्लिकेशन पेश किया है, जो पंचायत बैठकों, विशेषकर ग्राम सभा बैठकों के प्रबंधन के लिए समर्पित है। यह एप नागरिकों को बैठक के समय, एजेंडा या बैठक के कार्यवृत्त (मिनट्स) के अपलोड होने पर सूचित करता है। यह एप्लिकेशन iOS और Android दोनों प्लेटफार्म पर उपलब्ध है।

इसके अलावा, सरपंचों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु मंत्रालय व्यापक सूचना, शिक्षा और संचार (IEC) रणनीति अपनाता है। इस रणनीति में प्रिंट, डिजिटल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से व्यापक कवरेज शामिल है। जमीनी नेतृत्व को प्रेरित करने के लिए, सोशल मीडिया के माध्यम से सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं को दर्शाने वाली ऑडियो-वीडियो फिल्मों का व्यापक रूप से प्रसार किया जाता है।

मंत्रालय हिमाचल प्रदेश सहित सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में वित्तीय वर्ष 2022-23 से संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आर.जी.एस.ए) की केंद्र प्रायोजित योजना को लागू कर रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य निर्वाचित प्रतिनिधियों (ई. आर.), कार्यकर्ताओं और अन्य हितधारकों को नेतृत्व की भूमिकाओं के लिए उनकी शासन क्षमताओं को विकसित करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करके पंचायती राज संस्थानों (पी. आर. आई.) को सक्षम बनाना है ताकि पंचायतें प्रभावी ढंग से काम कर सकें।

इस योजना के तहत मंत्रालय विभिन्न श्रेणियों जैसे बुनियादी अभिविन्यास और पुनश्चर्या प्रशिक्षण, विषयगत प्रशिक्षण, विशेष प्रशिक्षण, पंचायत विकास योजना प्रशिक्षण आदि में निर्वाचित प्रतिनिधियों, कार्यकर्ताओं और पंचायतों के अन्य हितधारकों के क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण के लिए सहायता प्रदान करता है। विभिन्न प्रशिक्षण के अलावा, मंत्रालय एक्सपोजर विजिट, प्रशिक्षण मॉड्यूल और सामग्रियों के विकास आदि के लिए भी सहायता करता है। इसके अलावा, नेतृत्व/प्रबंधन विकास कार्यक्रम (एम. डी. पी.) के तहत उत्कृष्टता संस्थानों के माध्यम से पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं के क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण के लिए एक नई पहल की गई है।

इसके अलावा, विषयगत विकास योजना तैयार करने, वित्तीय प्रबंधन, ग्रामीण शासन और सेवा वितरण में सूचना संचार प्रौद्योगिकी (आई. सी. टी.) का उपयोग, विशेष प्रशिक्षण आदि जैसे विभिन्न पहलुओं पर निर्वाचित प्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं का क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण कराया गया। इन प्रशिक्षणों ने जमीनी स्तर पर शासन को बढ़ाया है। निर्वाचित प्रतिनिधि और पदाधिकारी ई-पंचायत मिशन मॉडल परियोजना (एमएमपी) के तहत विकसित ग्रामस्वराज एप्लिकेशन का उपयोग कर रहे हैं, जो डिजिटल योजना, लेखा, निगरानी और ऑनलाइन भुगतान की सुविधा प्रदान करता है।

पंचायती राज मंत्रालय ने पंचायतों के कामकाज को पारदर्शी बनाने के प्रयास में, ग्राम सभाओं की समय-सारणी को पंचायत निर्णय ऑनलाइन एप्लिकेशन और ऐप के माध्यम से ऑनलाइन कर दिया है। पंचायत निर्णय ग्राम सभा बैठकों सहित पंचायतों की बैठकों के प्रबंधन के लिए एक समर्पित मोबाइल ऐप है। ग्राम सभाओं में नागरिकों की भागीदारी बढ़ाने के लिए, ऐप में प्रावधान किया गया है ताकि जब भी ग्राम सभा की

बैठक निर्धारित हो या पंचायत द्वारा पंचायत निर्णय पोर्टल या मोबाइल ऐप पर बैठक का एजेंडा या कार्यवृत्त अपलोड किया जाए तो ऐप उपयोगकर्ता/नागरिकों को सूचित किया जा सके, जिसे ऐप उपयोगकर्ता द्वारा चुना/कॉन्फ़िगर किया गया है। यह ऐप आईओएस और एंड्रॉइड दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है।

***